

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648] No. 648] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2009/कार्तिक 21, 1931 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2009/KARTIKA 21, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई एम खण्ड)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अक्तूबर, 2009

**सं. फेमा** 200/2009-आर**वी** 

## विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत में अचल परिसम्पत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण ) (द्वितीय संशोधन ) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 813(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (i) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।
  - (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. विनियम 2 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल परिसंपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000-आरबी) के विनियम 2 में, खंड (ग), उप-खंड (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

'(ii) कोई व्यक्ति अथवा जिसके माता अथवा पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही में से कोई भारत में जन्मा था, जैसा कि भारत के संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) में परिभाषित है ।'

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-भाग-IV]

सलीम गंगाधरण, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक 8 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 407(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चातृ निम्नवत् संशोधित किए गए हैं :

- (i) दिनांक 19~08-2002 की सं. सा.का.नि. 578(अ)
- (ii) दिनांक 22-07-2003 की सं. सा.का.नि. 557(अ)
- (iii) दिनांक 03-03-2006 की सं. सा.का.नि. 130(अ)
- (iv) दिनांक 01-05-2009 की सं. सा.का.नि. 299(अ)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(EM SECTION)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

## NOTIFICATION

Mumbai, the 5th October, 2009

No. FEMA 200/2009-RB

## Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Second Amendment) Regulations, 2009

- G.S.R. 813(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 21/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—
- 1. Short title and commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Second Amendment) Regulations, 2009.
  - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of regulation 2.—In the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 21/2000-RB dated May 3, 2000, in regulation 2, clause (c), sub-clause (ii) shall be substituted by the following, namely:—
  - '(ii) who or either of whose father or mother or whose grandfather or grandmother was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).'

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol-IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 407(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide:

- (i) No. G.S.R. 578 (E) dated 19-8-2002
- (ii) No. G.S.R. 557 (E) dated 22-7-2003
- (iii) No. G.S.R. 130 (E) dated 3-3-2006
- (iv) No. G.S.R. 299 (E) dated 1-5-2009